



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16920

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 31858 वर्ष 2024

प्रदीप

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आत्माराम नाडीवाल, दिनेश कुमार यादव, राम आधार यादव, सतेन्द्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अशोक कुमार सिंह बैस, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। पहली आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 6762/2024 को इस न्यायालय ने दिनांक 15.03.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि समय बीतने के साथ ही, मुकदमा शुरू हुआ और सुनवाई के दौरान, गवाह (पीडब्ल्यू) संख्या 1 का बयान दर्ज किया गया, और अभियोजन पक्ष के गवाह ने अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन नहीं किया। गवाह (पीडब्ल्यू) संख्या 1 के बयान की प्रति पूरक हलफनामे के अनुलग्नक-एसए-1 के रूप में संलग्न है। वे निवेदन करते हैं कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को सिद्ध करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह विधि प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद आवेदक ने निवेदन किया है कि वह 15.06.2023 से जेल में बंद है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय परीक्षण-पूर्व चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, सबूतों की प्रकृति, और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। अंततः जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

6. आवेदक प्रदीप, जो मुकदमा अपराध संख्या 157/2023 में, सत्र ट्रायल नंबर 2233/2023 के रूप में, धारा 302 भारतीय दंड संहिता और धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन, गंगोह, जिला सहारनपुर में आरोपित है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और दो भारी स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करे, प्रत्येक की राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

ए. आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

बी. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

सी. आवेदक ट्रायल न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

डी. आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका वह आरोपी है या जिस पर उसका संदेह है।

ई. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

22 जनवरी 2026

एस.अली

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।